संख्या- 2/2019/ 149 /52-4-2019-2(आ०/बजट)/2018

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 03 मई, 2019

विषय- उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान में प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-591/अ0सं0आ0/2019-36वि0/2018, दिनांक 01.04.2019 के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू0-1,89,30,000.00 (एक करोड नवासी लाख तीस हजार मात्र) का 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त) निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.	**मद का नाम**	**प्राविधानित धनराशि (रूपयें में)**	**स्वीकृति धनराशि (रूपयें में)**
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	41,80,000/-	20,90,000/-
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1,47,50,000/-	73,75,000/-
	कुल-	1,89,30,000/- (एक करोड नवासी लाख तीस हजार मात्र)	94,65,000/- (चौरानवे लाख पैसठ हजार मात्र)

(1)- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग ''नई मदों/सेवाओं'' पर व्यय के लिए न किया जाय।

(3) - विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधारित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5)- धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-105-विशेष जॉच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनुसचिव।

संख्या- 2/2019/149 (1)/52-4-2019-2(आ0/बजट)/2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन- लखनऊ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in